न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **459/2022** दायर दिनाँक **23.12.2022**

वादी

1. घीसाराम पुत्र गोपीराम जाति रेगर निवासी तोषिणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. नन्दकिशोर पुत्र भोलूराम
2. ग्यारसी पुत्री उरजाराम समस्त जाति रेगर निवासीगण तोषिणा तहसील डीडवाना जिला नागौर
3. हल्का पटवारी ग्राम पंचायत तोषीणा
4. शाखा प्रबंधक रा.म.ग्रा.बैंक शाखा तोषीणा
5. उप तहसीलदार छोटीखाटू
6. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री पूर्णसिंह बोहरा वकील वादी।
2. श्री संजय राठी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से।

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक **30.06.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम तोषीणा पटवार हल्का तोषीणा के खेत खाता संख्या 1211/520 रकबा 1.3200 है. व खेत खसरा संख्या 520 रकबा 1.3000 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **17.04.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांकः भू.अ./2025/514 दिनाँक 28.04.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ. /2025/514 दिनाँक 28.04.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :—

—:: आदेश ::—

राजस्व ग्राम तोषीणा पटवार हल्का तोषीणा के खेत खाता संख्या 1211/520 रकबा 1.3200 है. व खेत खसरा संख्या 520 रकबा 1.3000 है. भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा [illegible] बंटवारा कर उनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन [illegible] पत्रांकः भू.अ./2025/514 दिनाँक 28.04.2025 में वर्णि[illegible] भूमि का पक्षकारा[illegible] स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/514 दिनाँक 28.04.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:00:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner